



Central Pollution Control Board

[Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India]

Occupational Health and Safety Policy

[IS 18001:2007/2012]

Central Pollution Control Board (CPCB), the advisory scientific & technical organization to Ministry of Environment, Forest & Climate Change has the mandate for pollution control in the country.

CPCB is committed to maintain and provide safe and healthy working environment to all personnel (employees, visitors, suppliers, contractor's workers and students / trainees) as an integral part of activities of the organization through an operational and well maintained Occupational Health and Safety Management System (OH&SMS) in compliance with the requirements of IS 18001:2007/2012.

CPCB is committed to comply with applicable legal requirements, controlling and gradually reducing hazards and associated risks in its field and laboratory related activities, providing requisite resources and training to all concerned, periodic review of the system for adequacy, suitability, effectiveness and continual performance improvement.

This policy will be communicated to all concerned persons and parties from time to time.

CHAIRMAN

January 11, 2017

Issue : 01

Revision: 01



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OH&SMS)

[आई एस 18001: 2007 / 12]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार संगठन है, जो देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिदेश प्राप्त है।

आई एस 18001: 2007/12 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधि एक अभिन्न अंग के रूप में अपने सभी कार्मिकों (कर्मचारियों, आगंतुकों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों के कर्मचारियों और विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं) को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रचालन और रख-रखाव करते हुए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य का माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपयुक्त विधिक अपेक्षाओं तथा प्रयोगशाला गतिविधियों संबंधी और इस क्षेत्र से जुड़े जोखिमों को धीरे-धीरे कम एवं नियंत्रित करने, अपेक्षित संसाधन को मुहैया कराने और सभी संबंधितों को प्रशिक्षण देने तथा प्रणाली की पर्याप्तता, उपयुक्तता, प्रभावशीलता एवं सतत निष्पादन में सुधार के लिए आवधिक समीक्षा का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समय-समय पर यह नीति सभी संबंधित व्यक्तियों तथा संगठनों को संसूचित की जाएगी।


अध्यक्ष

11 जनवरी, 2017

अंक : 01

संशोधन: 01